प्रकीर्ण वाद संख्या- ४३/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं. ४८४/२०१०)
श्रीमती सुनीता गुप्ता आदि बनाम राम कुमार आदि,
१७.०२.२०२१
लंच उपरान्त

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती सुनीता गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता एवं विशाल गुप्ता द्वारा इस आशय से दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक २३.१०.२०१२ को निर्णय पारित किया गया था जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३२/२०१३ चोलामण्डलम् एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम श्रीमती सुनीता गुप्ता आदि प्रस्तुत की गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक २१.०१.२०२१ को खारिज कर दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित ३१.०१.२०१३ के अनुपालन में न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकर राशि का भुगतान करते समय पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को प्रेषित आदेश में याचीगण की एफ.डी.आर. पर रिमार्क लगाया गया था कि एफ.डी.आर. का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय में अपील के निस्तारण पर होगा। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विपक्षी सं. २ की अपील खारिज हो चुकी है अतः प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण/ याचीगण की एफ.डी.आर. का विवरण देते हुए वर्णित एफ.डी.आर. से उक्त रिमार्क हटा देने व जिन एफ.डी.आर. की समयावधि पूर्ण हो चुकी है, उनका भुगतान प्रार्थीगण को देने हेतु शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को निर्देशित करने की याचना की है। समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी विशाल गुप्ता का शपथपत्र व प्रार्थीगण ने अपने-अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

३बी प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३२/२०१३ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरण में एफ.डी.आर. बनवाई गयी थीं और चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था अतः एफ.डी.आर. पर यह आदेश रिमार्क किया गया था कि एफ.डी. आर. का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपील के निस्तारण में होगा। अब यह एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३२ वर्ष २०१३ एफ.ए.एफ.ओ. सं. ३३१ वर्ष २०१३ के माध्यम से निस्तारित हो चुका है, इस कारण एफ.डी.आर. पर उक्त रिमार्क बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का ३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तदनुसार शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा, झोकनबाग झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया श्रीमती सुनीता गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता व विशाल गुप्ता की क्रमशः एफ.डी.आर. खाता सं. ३६७१००डीपी ०००१५०९२, एफ.डी.आर खाता सं. ३६ ७१००डीपी ०००१५११७ व ३६७१००डीपी ०००१५०७४ जो कि सभी ₹२,७७, ८५३ की है, पर उक्त रिमार्क हटा कर उनकी धनराशि मय ब्याज का भुगतान क्रमशः प्रार्थिया श्रीमती सुनीता गुप्ता के बैंक खाता सं. ३१७०३३२४०१८ आई.एफ.सी. कोड सं. एसबीआईएन ०००२६०१ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रानीपुर तहसील मऊरानीपुर, झाँसी में, विजय कुमार गुप्ता के बैंक खाता सं. ३६७१०००१०१०९९५०८ आई.एफ.सी. कोड सं. पीयूएनबी०३६७१०० पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में एवं विशाल गुप्ता के बैंक खाता सं. ३६७१०००१०१०९९४९२ आई.एफ. सी.कोड सं. पीयूएनबी०३६७१०० पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जरिए आर.टी.जी. एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें तथा उक्त प्रत्येक की क्रमशः एफ.डी.आर.खाता सं. ३६७१००डीपी ०००१५१०८, ३६७१००डीपी ०००१५१ २६ व ३६७१०० डीपी ०००१५०८३ पर उक्त रिमार्क हटाकर उनकी धनराशि मय ब्याज का भुगतान उनकी परिपक्वता की अवधि दिनाँक ०८.०४.२०२३ पर करें। तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय।

इस आदेश की एक प्रति अनुपालनार्थ संबंधित बैंक को भेजी जावे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.02.17 09:37:58 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI